न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं.– 33 / 2016

बलबीरसिंह पुत्र श्री दलीपसिंह उम्र 56 वर्ष जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

................आवेदक

– ब ना म –

1. जितेन्द्रसिंह नेहरा पुत्र भंवरसिंह उम्र 42 जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2. विरेन्द्रसिंह नेहरा पुत्र भवंरसिंह उम्र 40 जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
3. चंचल पुत्री भंवरसिंह उम्र 45 वष पत्नि शेरसिंह जाति जाट निवासी नापला तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ (हरि.)
4. सुनीता पुत्री भंवरसिंह उम्र 38 वर्ष पत्नि राजवीर जाति जाट निवासी नापला तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ (हरि.)
5. औमप्रकाश पुत्र दलीपसिंह उम्र 62 वर्ष जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
6. कमलसिंह पुत्र जयदयाल उम्र 60 वर्ष
7. प्यारेलाल पुत्र जयदयाल उम्र 65 वर्षसमस्त } जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
8. महावीर पुत्र जयदयाल उम्र 55 वर्ष
9. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भिर्र जरिये शाखा प्रबन्धक
10. लैण्ड–होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (रा[illegible]

..........अनावेदकगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:10:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज०)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

1. श्री राजेश यादव, अधिवक्ता – आवेदक की ओर से ।
2. अनावेदकगण के विरूद एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

—:: निर्णय ::—

दिनांक – 06—06—2022

आवेदक की ओर से हस्तगत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. कास्त अधि. संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं किः—

1. यह कि वाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमी ख.न. 748 / 608 रकबा 0.21 हैक्टर का खातेदार आवेदक हैं लेकिन ख.न. 748 / 608 के लिये रिकार्ड में कोई कटानी रास्ता नही है
2. यह कि भूमि ख.न. 747 / 608 , ख.न. 746 / 608 आवेदक की भूमि के पश्चिम में स्थित है ख.न. 607 भी ख.न. 747 / 608 , ख.न. 746 / 608 के उत्तर में स्थित है ख.न. 746 / 608 एवं ख.न. 607 दोनों की पश्चिमी सीमा जोहड़ की भूमि से सटकर है एवं जोहड़ में रास्ता मौजूद हैं।
3. यह कि आवेदक व अनावेदक सं. 1 लगायत 5 की भूमि पहले एक ही खाते में थी बाद में उन्होने विभाजन करवा लिया है वर्तमान में यह भूमि अलग—अलग खातेदारी में दर्ज है अनावेदक सं. 1 लगायत 4 के नाम भूमि ख.न. 746 / 608रकबा 0.21 है. तथा अनावेदक सं. 5 के नाम भूमि ख.न. 747 / 608 रकबा 0.21 है. दर्ज है तथा अनावेदक सं. 6 लगायत 8 की खातेदारी की भूमि ख.न. 607 है प्रतिवादी सं. 9 से प्रतिवादी सं. 7 ने ऋण ले रखा है। खातेदार छिन्नो देवी की मृत्यु हो चुकी है अनावेदक सं. 6 लगायत 8 उसके वारीसान है।
4. यह कि आवेदक की खातेदारी की भूमि ख.न. 748 / 608 रकबा 0.21 है. में आवेदक ख.न. 747 / 608 , ख.न. 746 / 608 की भूमि से आवागमन करता था फसल कास्त करता था काटता एवं लादता था एवं ख.न. 866 / 605 जोहड़ में से गांव में आ जाता था अर्थात ख.न. 866 / 605 में से होते हुये ख.न. 746 / 608 , ख.न. 747 / 608 में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:10:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज०)

होते हुये ख.न. 748 / 608 में प्रवेश करता था एवं अपनी भूमि को आवेदक कास्त करता था काटता एवं लाटता रहा है।

5. यह कि इस वर्ष अनावेदक सं. 1 लगायत 8ने ख.न. 746 / 608 एवं ख.न. 747 / 608 की उत्तरी सीमा एवं ख.न. 607 की दक्षिणी सीमा पर तथा ख.न. 607 एवं ख.न. 746 / 608 की पश्चिमी सीमा पर पत्थर व एगंल गाडकर तारबन्दी कर दी जिससे आवेदक को अपनी भूमि ख.न. 748 / 608 में पहुँच पाना मुश्किल हो गया है जिससे आवेदक अपनी भूमि में फसल कास्त नही कर पाता एवं आवेदक की भूमि ख.न 748 / 608 के लिये अन्य रास्ता नही है अर्थात आवेदक की भूमि में पहुँचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

6. यह कि ख.न. 866 / 605 जोहड़ की भूमि में से आवेदक की भूमि ख.न. 748 / 608 तक पहुँचने के लिये आवेदक को भूमि ख.न. 607 की दक्षिणी सीमा व ख.न. 746 / 608 एवं 747 / 608 की उत्तरी सीमा पर से 15 फीट चौड़ा रास्ता की आवश्यकता आवेदक को है अर्थात दोनो तरफ की भूमि में से 7.6—7.6 फीट चौड़ाई में कुल 15 फीट चौड़ाई में रास्ता की आवश्यकता है जिससे की आवेदक अपनी खातेदारी की भूमि ख.न. 748 / 608 तक आवगमन कर सके एवं अपनी भूमि में फसल कास्त कर सके लाट सके काट सके एवं कृषि उपज को बाजार तक एवं अपने घर तक ला सके तथा आवेदक रास्ते के रूप काम आने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. रेट की दौगुनी राशी भुगतान करने को तैयार एवं तत्पर है इस प्रकार भूमि ख.न. 607 व 746 / 608 एवं 747 / 608 मे से ख.न. 866 / 605 से ख.न. 748 / 608 तक 15 फीट चौड़ा रास्ता कायम किये जाने योग्य है।

7. यह कि आवेदक की भूमि ख.न. 748 / 608 के लिये रास्ता की इसके अलावा अन्य कोई सुविधा नही है ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था है एवं अनावेदगण ने अब दोनों की सीमाओं पर तार बान्ध दिये जिससे आवेदक का पैदल भी अपने खेत में जाना असम्भव हो गया है जिससे आवेदक को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा मे मूल्याकंन नही किया जा सकेगा इसलिए आवेदक के लिये यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

8. यह कि आवेदन पत्र के लिये आधार [illegible] आवेदक की खातेदारी भूमि ख.न. 748 / 608 होने एवं उसके लिये कोई रा[illegible] नही होने व विवादित स्थल सबसे सुगम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:10:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, [illegible]
जिला झुन्झुनूं (राज०)

उपखण्ड अधिकारी ★ [illegible] जिला झुन्झुनूं (राज.)

एवं कम दूरी होने से यह आवेदन पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है जो अन्दर मियाद है वैसे भी इस प्रकार के आवेदन पत्र के लिए कानून में कोई मियाद निर्धारित नही है।

9. यह कि अनावेदक सं. 7ने अनावेदक सं. 9 से अपनी कृषि भूमि पर ऋण ले रखा है तथा अनावेदक सं. 10 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है।

10. यह कि आवेदक की भूमि व चाहे गये रास्ता की भूमि वाके ग्राम देवलावास के स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद मे होने से यह आवेदन पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

11. यह कि आवेदन पत्र 2/—रू. कोर्ट फीस पर सेवामे पेश हैं।

12. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन मे आवेदक का शपथ पत्र पेश हैं।

आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं कि आवेदक का आवेदन पत्र विरूद अनावेदकगण स्वीकार किया जाकर ग्राम देवलावास स्थित भूमि ख.न. 866/605 से लेकर आवेदक की भूमि ख.न. 748/608 तक नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार ख.न. 746/608 व ख.न. 747/608 एवं ख.न. 607 की सीमा पर से 15 फीट चौड़ाई में रास्ता कायम कर उसे गैर मु. रास्ता राजकीय भूमि दर्ज कर मौके पर भी रास्ता का मापन एवं सीमाकन कर कायम किये जाने की कृपा करे।

पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई । बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर आवेदक को सुना गया मुताबिक मौका रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड आवेदक की भूमि ख.न. 748/608 के लिये मौके पर कोई रास्ता नही है ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता की व्यवस्था है इसलिए भूमि ख.न. 866/605 से लेकर तक ख.न. ख.न. 563/33 व 564/33 की सीमा पर से मुताबिक रिपोर्ट रिपोर्ट [illegible] पर रास्ता कायम किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:10:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज०)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.) सत्यमेव जयते

—:: आदेश ::—

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः वाके ग्राम देवलावास स्थित भूमि खसरा नम्बर 748/608 रकबा 0.21 है. में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 607, खसरा नम्बर 746/608 खसरा नम्बर 748/608 मे से मुताबिक मौका रिपोर्ट मय नजरी **प्रदर्श– "अ–1 लगायत अ–6"** के अनुसार भूमि की लम्बाई के समानुपाति चौड़ाई में आने जाने के लिए रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में " गैर मुमकिन रास्ता" के रूप मे दर्ज की जावे। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि मुआवजे की राशि निर्धारित उपरोक्त ग्राम की डीएलसी की दुगनी से गणना कर नियमानुसार राशि राजकोष में जमा कर अनावेदकगण को वितरण करे। अनावेदक को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि कटानी रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप मे, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। राजकोष में राशि जमा होने पर तहसीलदार बुहाना रिकॉर्ड में **प्रदर्श– "अ–1लगायत अ–6"** के अनुसार अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम कर कब्जा सुपुर्द किया जावे। प्रदर्श– "अ–1लगायत अ–6" निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो रास्ते में आने वाले रकबा रहनु मुक्त रखा जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 06–06–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुल्ले कोर्ट मे सुनाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.) सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:10:57 IST
Reason: SelfAttested